

mark

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26 अरेरा हिल्स, भोपाल

ईमेल आईडी - niyaman.mpsamb@gmail.com

क्र/बोर्ड/नियमन/वि.अनु./Vamcom/739/ 2136

भोपाल, दिनांक 19/12/2025

प्रति,

M/s VAMCOM,
15A, 4th Floor, City Vista, Tower A,
Suite No. 1233, Fountain Road, Kharadi,
Pune-411014, Maharashtra.
GSTIN - 27AAOFV5674K1ZA

विषय - मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञप्ति)
नियम-2009 (यथासंशोधित) के अधीन विशेष अनुज्ञप्ति के संबंध में।

संदर्भ - आपका आवेदन दिनांक 13.11.2025

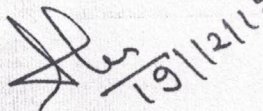
मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 32-क के अधीन निर्मित नियम मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम, 2009 (यथासंशोधित) के अधीन M/s VAMCOM को विशेष अनुज्ञप्ति क्रमांक/एस.एल./2024/52 दिनांक 30/12/2024 स्वीकृत की गई है।

- संदर्भित आवेदन के माध्यम से उक्त अनंतिम स्वीकृत विशेष अनुज्ञप्ति की वैधता अवधि में आगामी 4 वर्षों की वृद्धि करने हेतु अनुरोध किया गया है।
- आवेदन पर विचारोपरांत अधिसूचित प्राधिकारी प्रबंध संचालक महादय द्वारा M/s VAMCOM को नियम 2009 अंतर्गत नियम 10 के तहत स्वीकृत विशेष अनुज्ञप्ति क्रमांक/एस.एल./2024/52 दिनांक 30/12/2024 की वैधता अवधि में आगामी 4 वर्षों अर्थात् दिनांक 29/12/2029 तक वृद्धि करने की अनुमति प्रदान की गई है। विशेष अनुज्ञप्ति क्रमांक/एस.एल./2024/52 दिनांक 30/12/2024 अनुमोदित क्रय केंद्रों की अद्यतन सूची (परिशिष्ट -1) संलग्न है जोकि विशेष अनुज्ञप्ति क्रमांक/एस.एल./2024/52 दिनांक 30/12/2024 का भाग होगी। उक्त सभी क्रय केंद्रों को सम्मिलित कर अधिसूचित कृषि उपज की न्यूनतम क्रय मात्रा के संबंध में नियम 2009 की कंडिका 4(2) के प्रावधान लागू रहेंगे।
- नियम 2009 के नियम 6 के अधीन प्रतिभूति स्वरूप बैंक गारंटी/एफडीआर जमा करना अनिवार्य होगा। कृषकों को कृषि उपज का नियत समयसीमा में पूर्ण भुगतान करना अनिवार्य होगा।
- क्रय केंद्र स्थापना के संबंध में नियम 2009 के नियम 8(6) तथा नियम 8(7) के प्रावधान लागू होंगे तथा क्रय केंद्र पर नियम 10 के अधीन प्रसुविधाओं का सृजन करना अनिवार्य होगा।

6. अधिनियम, नियम, उपविधि, के प्रावधानों तथा ई-अनुज्ञा पोर्टल पर कार्य करने के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना बंधनकारी होगा। क्रय केंद्र पर एवं मंडी क्षेत्र में (मंडी प्रांगण/उपमंडी प्रांगण के बाहर) कृषकों से क्रय-संव्यवहार एम.पी. फार्मगेट एप के माध्यम से ही किया जा सकेगा।

(प्रबंध संचालक महोदय के अनुमोदन एवं आदेशानुसार जारी)

संलग्न - उपरोक्तानुसार।


19/12/25
संयुक्त संचालक

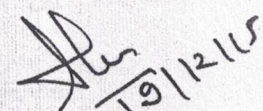
म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्र/बोर्ड/नियमन/वि.अनु./Vamcom/739/ 2137

भोपाल, दिनांक 19/12/2025

प्रतिलिपि:-

1. संयुक्त/उप संचालक, म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय भोपाल/इंदौर/उज्जैन/जबलपुर/सागर/ग्वालियर/रीवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
अनुज्ञप्तिधारक से अधिनियम, नियम एवं उपविधियों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने का अनुरोध है। आपके स्तर से इस विषय की जानकारी संभाग की समस्त कृषि उपज मंडी समिति को दी जाए।
2. सचिव कृषि उपज मंडी समिति _____ जिला _____, म. प्र. (समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. सहायक संचालक (आईटी शाखा), म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल। विशेष अनुज्ञप्तिधारी M/s VAMCOM को स्वीकृत विशेष अनुज्ञप्ति की ई-अनुज्ञा पोर्टल में आवश्यक प्रविष्टि की जाकर, संबंधित विशेष अनुज्ञप्तिधारक को MAN NUMBER, LOGIN ID, PASSWORD तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।


19/12/25
संयुक्त संचालक

म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

M/s VAMCOM,
15A, 4th Floor, City Vista, Tower A,
Suite No. 1233, Fountain Road, Kharadi,
Pune-411014, Maharashtra.

GSTIN - 27AAOFV5674K1ZA

वैशेष अनुज्ञप्ति क्रमांक/एस.एल./2024/52 दिनांक 30/12/2024

प्रधता अवधि - दिनांक 29/12/2029 तक

रुय केंद्र सूची

अनु क्र	अधिसूचित कृषि उपज का नाम जिसके कारबार हेतु विशेष अनुज्ञप्ति स्वीकृत/नवीनीकृत की गई है।	विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र का नाम, जिसमें कारबार हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है।	संबंधित मंडी समिति का नाम	विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र के अधीन अनुमोदित क्रय केंद्रों के नाम	कारबार का स्थान, कार्यालय का पता	कार्यालय प्रमुख का नाम, पदनाम एवं पता
1	2	3	4	5	6	7
1	"धान्य तथा दलहन"	छिन्दवाडा	छिन्दवाडा	श्रेणी वेयर हाउस, रमगदी	Padma warehouse, village ramgadi, chindwara	सुश्री कंचन सिंह Mo.no.- 9850002969
2	"धान्य तथा दलहन"	सिवनी	सिवनी	सौरभ नगझर बायपास सिवनी।	Padmavati warehouse village Kandipar, sooni	सुश्री कंचन सिंह Mo.no.- 9850002969

(प्रबंध संचालक महोदय के अनुमोदन एवं आदेशानुसार जारी)



19/12/24

संयुक्त संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल